परिपत्र संख्या-स0द0-2020-21/ 41। /कम्प्यूटर0परि0सं0- 2021012 //वाणिज्य कर

कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उ0प्र0।

(सचलदल अनुभाग)

लखनऊ :: दिनांक :: 17 अगस्त, 2020

समस्त,

एडीशनल कमिश्नरग्रेड-2(अपील),

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

विषय:- सचलदल इकाइयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध धारा-107 के अन्तर्गत दाखिल अपीलों के निस्तारण के सम्बन्ध में।

सचलदल इकाइयों द्वारा रोड चेकिंग के दौरान पाए गए प्रतिकूल मामलों में प्रान्तीय / केन्द्रीय माल और सेवाकर अधिनियम, 2017 की धारा-129 एवं धारा-130 के अन्तर्गत पारित आदेशों के विरुद्ध धारा-107 के अन्तर्गत अपील योजित करने का प्रावधान है। सचलदल इकाइयों द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपीलीय आदेशों का समयान्तर्गत क्रियान्वयन सुनिश्चित कराने के उद्देश्य से सेन्ट्रल व्यास पर उपलब्ध एम.एस. माड्यूल में एक नया मेन्यू विकसित किया गया है। सचलदल कार्यालय में प्राप्त होने वाले अपीलीय आदेशों की वांछित प्रविष्टियां इस माड्यूल में सचलदल इकाइयों द्वारा की जाएगी।

प्रान्तीय अधिनियम की धारा-107 के अन्तर्गत वर्ष 2017-18 के द्वितीय त्रैमास से वर्ष 2020-21 के प्रथम त्रैमास तक की अवधि में पारित आदेशों के सम्बन्ध में विवरण निम्न प्रारूप में सचलदल अनुभाग की ई-मेल (ctcphqlu-up@nic.in) पर दिनांक 31-08-2020 तक प्रेषित करते हुए आगामी प्रत्येक त्रैमास समाप्ति के 10 दिन के अन्दर नियमित रूप से विवरण उक्त ई-मेल पर ही प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

प्रारूप

न्यायिक सम्भाग का नाम- वर्ष- त्रैमास-

त्रैमास तक प्राप्त अपील की संख्या	त्रैमास तक निस्तारित अपील की संख्या	सचलदल कार्यालय को प्राप्त कराए गए आदेशों की संख्या

(अमृता सोनी)

कमिश्नर, वाणिज्य कर,

उत्तर प्रदेश, लखनऊ।